

24/3  
2023

अधिसूचना प्रकीर्णन द्वारा अधिसूचना  
स्वयं उपाखित नहीं। विपक्षीय के नोटीस  
बाद लमिल प्राप्त। विपक्षीय भी उपाखित  
हमने पत्रावली का उल्लेख किया  
प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 CR Act के  
तहत होकर प्रकीर्णन की स्वतन्त्र भूमि  
की पत्थरगदी बाबर हैं, जिससे प्रकरण  
को मेरिट पर विस्तारित किया जाना उचित  
समझते हैं। अतः प्रकीर्णन का प्रकीर्णन पर  
स्वीकार किया जाकर प्रकीर्णन के स्वतन्त्र


2022  
849



Emp  
(रामचन्द्र खटीक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

... लगातार

की माँजा पुरोहितों का सांवता परिवार का  
मुम्बईया तहसील चित्तौड़गढ़ जिला द्वारा  
संख्या 1541/70 रकबा 1.0839 हे. भूमि  
की बिना किसी के कब्जे में दखलाने की  
लिए सेटलमेंट नम्बे अनुसार पत्थरगढी  
की जागे के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर  
शुल्क 10000-00 दूसरे एक हजार रुपये  
पानीगठा वहाँ कोरेजी पालना तहसील  
चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पत्थरगढी  
को लिखित सूचना देना नियमानुसार  
पत्थरगढी की जागे एवं पालना रिपोर्ट  
न्यायपाल्य में प्रस्तुत करें। पत्थरगढी  
का जमा नुमां लेना नम्बे से कम है।

  
(रामचन्द्र खट्टी)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़